निधि में शामिल होने की पात्रता हेतु

सभी सरकारी स्थायी एवं अस्थायी कर्मचारी नियमित रूप से स्थापना से वहन करते हैं/ जुड़े हुए हैं एवं आकस्मिकताओं से भुगतान नहीं करते हैं, वे ही निधि में अभिदान करेंगे। अस्थायी सरकारी कर्मचारी एक वर्ष की निरंतर सेवा के बाद बाद ही अभिदान करेंगे। बशर्ते कि ऐसा कोई भी कर्मचारी जिसकी आवश्यकता नहीं है या अंशदायी भविष्य निधि में अभिदाता बनाने/ अभिदान करने की अनुमति दी गई है, वह निधि में अभिदाता के रूप में शामिल होने या अभिदान जारी रखने के लिए पात्र नहीं होगा, जबकि वह ऐसी निधि में अभिदाता बनाने का अपना अधिकार जारी रखता है। किसी कर्मचारी द्वारा एक वर्ष की निरंतर सेवा पूरी करने के बाद, इस योजना में शामिल होना अनिवार्य है। वर्ग 'क', 'ख', 'ग' और 'घ' कर्मचारियों के सामान्य भविष्य निधि लेखा संख्या को कार्यालय प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) मेघालय, शिलांग के द्वारा आवंटित किया जाता है। तथापि, अखिल भारतीय सेवा (अ. भा. से.) अधिकारियों के संबंध में, सामान्य भविष्य निधि लेखा संख्या महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी), असम के कार्यालय द्वारा आवंटित की जाती है। लेखा संख्या के आवंटन से पहले भविष्य निधि की अभिदान राशि की कटौती वेतन बिलों से नहीं की जानी चाहिए। सामान्य भविष्य निधि लेखा संख्या प्राप्त करने हेतु एवं इस उद्देश्य के लिए निर्धारित प्रारूप में आवेदन एक वर्ष की सेवा पूरी होने से कुछ सप्ताह पहले, कार्यालय प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) मेघालय, शिलांग को प्रेषित किया जाना चाहिए। यदि प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी)मेघालय, शिलांग से सामान्य भविष्य निधि लेखा संख्या प्राप्त करने में विलम्ब होता है, तो वर्तमान सामान्य भविष्य निधि हेतु अभिदान के साथ साथ प्रत्येक महीने की बकाया अभिदान को एक किस्त के रूप में कटौती की जाएगी।

मेघालय सिविल सेवा (सामान्य भविष्य निधि) नियम 1985, अंतर्गत नियम 4 का विवरण कृपया देखें।

कार्यालय प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) मेघालय, शिलांग - 793001